



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 76 राँची, बुधवार,

7 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-25/2021-25352 (HRMS)--श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3260/रा०, दिनांक 16.09.2021 के माध्यम से जिला स्थापना उप समारहता, राँची के पत्रांक-2028(ii)/स्था०, दिनांक 10.08.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध कांके अंचल अन्तर्गत मौजा-चामा, खाता सं०-87, प्लॉट सं०-1232 में सरकारी भूमि (संदिग्ध जमाबंदी) का अवैध तरीके से नामांतरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-5483, दिनांक 27.05.2022 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-5484, दिनांक 27.05.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-234, दिनांक 06.10.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. अतः श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ii) चूँकि, श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप विभागीय जाँच में प्रमाणित पाया गया है, अतः उनको निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRABHAT BHUSHAN SINGH (JHK/JAS/159)	DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	14/12/2023	It will be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
